आदेश बइजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 623/2023 (धारा 14 अंतर्गत सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

यूको बैंक, बनीपार्क, जयपुर।

– प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री साजन कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा,
2. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पत्नी श्री साजन कुमार शर्मा,
3. श्रीमती सुमनलता शर्मा पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा,

पता:– मकान नं. 71/65, परमहंस मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण/ऋणी एवं गारन्टर

Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002

उपस्थित :

1. रीना वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से

आदेश **दिनांक 10.07.2023**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु दिनांक **31.07.2015** को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्रीमती सुमनलता शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं. 71/65, परमहंस मार्ग, मानसरोवर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 73.20 वर्गमीटर** को बंधक कर कुल राशि **80,00,000/–**रूपये की राशि का ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करनें में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **20.02.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गए। नोटिस जारी किये जानें के बाबजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करनें पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **80,00,000/–**रूपये की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी गई है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **80,90,477.31/–** रूपय जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **20.02.2023** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती सुमनलता शर्मा के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति मकान नं. 71/65, परमहंस मार्ग, मानसरोवर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 73.20 वर्गमीटर** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर / पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर [illegible] की उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **10.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner